41/SR-2/P-2/2019/11335

वितरण प्रणाली का प्रभावी क्रियान्वयन : भारत में खाद्य सुरक्षा हेतु आवश्यक

सारांश

भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए दो महत्वपूर्ण घटकों– खाद्यान्नों की दीर्घ कालीन आपूर्ति तथा खाद्यान्नों का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण महत्वपूर्ण है। खाद्य सुरक्षा की स्थिति के लिए इन दोनो घटकों में से वर्तमान में कौन घटक अधिक जिम्मेदार है, इसी को दृष्टिगत रखते हुए इस शोध पत्र में वितरण प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन के द्वारा भारत में खाद्य सुरक्षा की स्थिति के विश्लेषण के लिए खाद्यान्नों के भण्डार की स्थिति, वितरण प्रणाली,उचित मूल्य की दुकानें, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्नो का आवण्टन एवं उठाव का विश्लेषण करते हुए खाद्य सुरक्षा के लिए जिम्मेदार कारक को निष्कर्ष के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

मुख्य शब्द : सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राष्ट्रीय खाद्य नीति, टी0पी0डी0एस0, बी0पी0एल0, आवण्टन, उठान, न्यूनतम मापदण्ड तथा प्रतिरोधक भण्डार आदि।

विनयानन्द यादव
असिस्टेन्ट प्रोफेसर,
अर्थशास्त्र विभाग,
श्री चित्रगुप्त पी0जी0 कॉलेज,
मैनपुरी, उ.प्र., भारत

आलोक कुमार गोयल
प्रोफेसर,
अर्थशास्त्र विभाग, दी0द0उ0
गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर, उ.प्र., भारत

प्रस्तावना

कल्याणकारी राज्य में सुरक्षा व न्याय दिलाने के साथ ही साथ आवश्यक वस्तुएं उचित व्यवस्था द्वारा जनसाधारण को सुलभ कराना सरकार का दायित्व होता है। प्रकृति से प्रत्येक व्यक्ति उपभोक्ता है और प्रत्येक उपभोक्ता स्वभाव से उचित मूल्यों पर अच्छी वस्तु प्राप्त करना चाहता है किन्तु वस्तुओं की अनियमित पूर्ति के कारण होने वाली मूल्य वृद्धि उपभोक्ता वर्ग के समक्ष कठिनाई उत्पन्न करती है। अभावों की दशा में जीवनोपयोगी वस्तुओं की उपलब्धता भी दुर्लभ हो जाती है। इन परिस्थितियों में समाज के निर्बल वर्ग को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर वितरण व्यवसाय में लगे निजी विक्रेता इस स्थिति का दुरूपयोग कर उपभोक्ताओं का अधिकतम शोषण करने लगते हैं। ऐसे समय में एक ऐसी वितरण व्यवस्था की आवश्यकता होती है जो स्थाई रूप से समाज के सभी वर्गों के उपभोक्ताओं के हित का संरक्षण कर सके।

भारत में खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से खाद्यान्नों के उत्पादन एवं आपूर्ति से खाद्यान्नों का वितरण पक्ष कम महत्वपूर्ण नहीं है। एक तो खाद्यान्नों के उत्पादन में मानसून के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं, दूसरा चूंकि खाद्यान्नों का व्यापार निजी व्यापारियों के हाथ में है। इसलिए वे लाभ अर्जन की दृष्टि से कृत्रिम कमी के द्वारा मूल्य में वृद्धि लाने की कोशिश करतें हैं। तीसरा और सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या बहुत अधिक है और गरीब लोग खाद्यान्नों को बाजार मूल्य पर क्रय करने की स्थिति में नहीं होते हैं। उपभोक्ताओं के हितो की रक्षा करना, हमारे देश की सरकार का प्रमुख उद्देश्य है। प्रत्येक उपभोक्ता को उचित मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे खाद्य सुरक्षा की स्थिति सुनिश्चित हो सके

अध्ययन का उद्देश्य

भारत में खाद्य सुरक्षा के मुख्य अवयव (माँग एवं पूर्ति) की स्थिति को ज्ञात करना तथा खाद्य सुरक्षा के लिए जिम्मेदार कारक को जानना।

भारत में खाद्य सुरक्षा हेतु खाद्यान्नों का भण्डार

भारत में खाद्य सुरक्षा की स्थिति के लिए समग्रता का दृष्टिकोण उचित है जिसके अन्तर्गत देश के सभी राज्यों में निवास करने वाली जनसंख्या के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न की हर समय उपलब्धता, जो दीर्घकालीन स्थिति को प्रदर्शित करता है, के लिए सार्वजनिक भण्डारण की व्यवस्था करना आवश्यक हो जाता है। इसीलिए खाद्य सुरक्षा की स्थिति के आपूर्ति पक्ष हेतु सार्वजनिक भण्डारण– भारतीय खाद्य निगम एवं राज्य वेयर हाउसिंग की व्यवस्था की गई है। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों से अतिरेक कृषि उत्पाद वसूली कीमत अथवा न्यूनतम

समर्थन मूल्य के आधार पर क्रय करती है जिसके भण्डारण की व्यवस्था खाद्यान्नों की दीर्घकालीन उपलब्धता के लिए किया जाता है। खाद्य सुरक्षा के लिए भण्डारण की मात्रा कितनी होनी चाहिए। इसके कई सारे निर्धारक तत्व हैं– खाद्यान्नों की मांग, उपभोग की प्रकृति, जनसंख्या वृद्धि, उत्पादन में उच्चावचन की स्थिति तथा प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति आादि है। सामान्यतः भण्डारण की मात्रा का निर्धारण पांच वर्ष के लिए किया जाता है।

तलिका – 01

केन्द्रीय पुल में खाद्यान्न की स्थिति (लाख टन में)

वर्ष	गेहूँ		चवल		कुल		
	वास्तविक स्टॉक	खाद्यान स्टॉकिंग मानदंड	वास्तविक स्टॉक	खाद्यान स्टॉकिंग मानदंड	वास्तविक स्टॉक	खाद्यान स्टॉकिंग मानदंड	न्यूनतम मानदंड का % वास्तविक भंडार
	(Actual stock)	(Minimum buffer norms)	(Actual stock)	(Minimum buffer norms)	(Actual stock)	(Minimum buffer norms)	% Actual stock over minimum buffer norms
1/1/1994	108	77	112	77	220	154	142.8571
1/1/1995	129	77	174	77	303	154	196.7532
1/1/1996	131	77	154	77	285	154	185.0649
1/1/1997	71	77	129	77	200	154	129.8701
1/1/1998	67.56	77	114.86	77	182.42	154	118.4545
1/1/1999	126.96	84	116.83	84	243.79	168	145.1131
1/1/2000	171.71	84	147.17	84	318.88	168	189.8095
1/1/2001	250.41	84	206.99	84	457.4	168	272.2619
1/1/2002	324.15	84	256.17	84	580.32	168	345.4286
1/1/2003	288.3	84	193.72	84	482.02	168	286.9167
1/1/2004	126.87	84	117.27	84	244.14	168	145.3214
1/1/2005	89.31	84	127.63	84	216.94	168	129.131
1/1/2006	61.88	82	126.41	118	188.29	200	94.145
1/1/2007	54.28	82	119.77	118	174.05	200	87.025
1/1/2008	77.12	82	114.75	118	191.87	200	95.935
1/1/2009	182.12	112	175.76	138	357.88	250	143.152
1/1/2010	230.92	112	243.53	138	474.45	250	189.78
1/1/2011	215.4	112	255.8	138	471.2	250	188.48
1/1/2012	256.76	112	297.18	138	553.94	250	221.576
1/1/2013	243.83	112	322.21	138	666.04	250	266.416
1/1/2014	280.47	112	146.98	138	427.45	250	170.98
1/1/2015	251.13	138	117.43	76.1	368.56	214.1	172.1439
1/1/2016	237.88	138	126.89	76.1	364.77	214.1	170.3737
1/1/2017	137.47	138	134.75	76.1	272.22	214.1	127.1462

स्रोतः खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, वार्षिक रिपोर्ट, 2007–08 एवं 2017–18

चित्रः–01

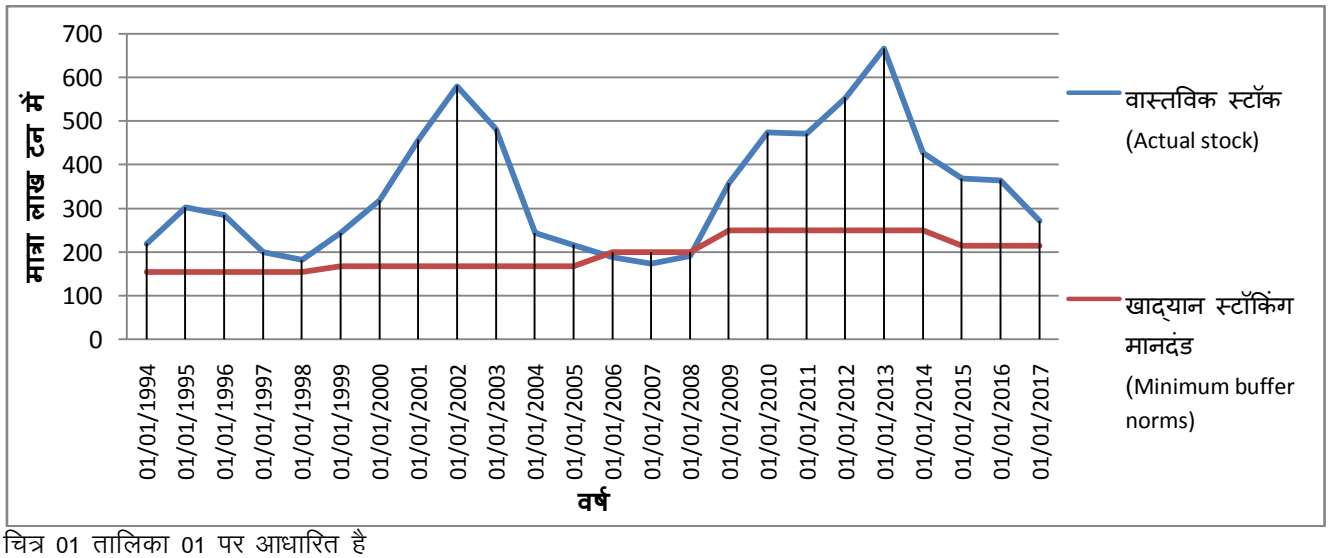

चित्र 01 तालिका 01 पर आधारित है

चित्र– 02

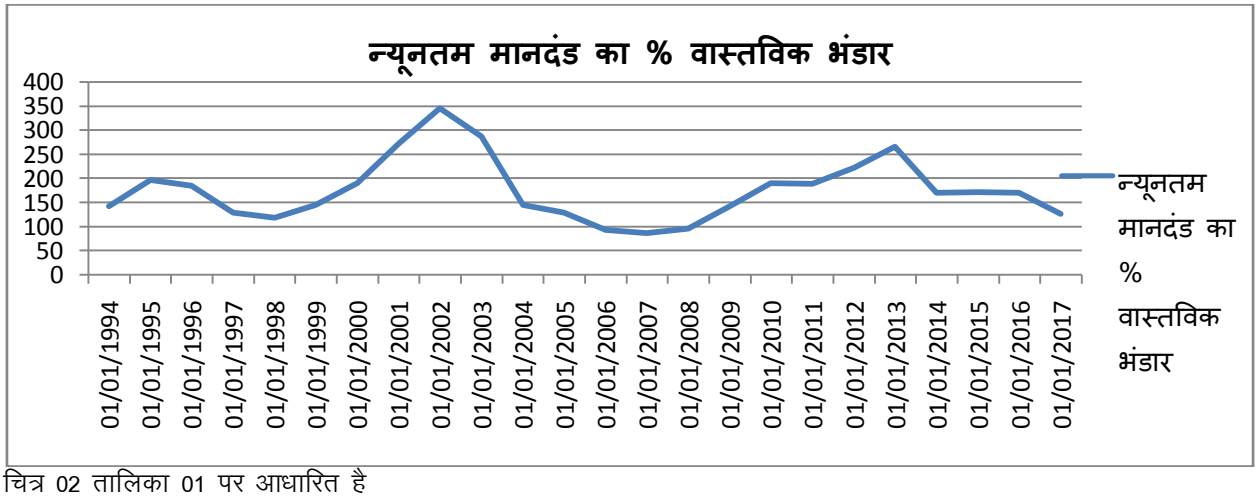

चित्र 02 तालिका 01 पर आधारित है

उपरोक्त तालिका 01तथा चित्रों 01 एवं 02 से स्पष्ट है कि दिनांक 1 जनवरी 1994 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में खाद्यान्न (गेहूँ+चावल) का वास्तविक स्टॉक 220 लाख टन था, जबकि न्यूनतम खाद्यान्न स्टॉकिंग मानदण्ड 154 लाख टन था। 1 जनवरी 1994 से 1 जनवरी 1998 तक गेहूँ का न्यूनतम स्टॉकिंग मानदण्ड 77 लाख टन प्रतिवर्ष रखा गया था जबकि वास्तविक स्टॉक औसतन 101 लाख टन था। इसी तरह 1 जनवरी 1999 से 1 जनवरी 2005 तक गेहूँ का न्यूनतम स्टॉकिंग मानदण्ड 84 लाख टन प्रतिवर्ष था जबकि वास्तविक स्टॉक औसतन 197 लाख टन था। 1 जनवरी 2006 से 1 जनवरी 2008 तक गेहूँ का वास्तविक स्टॉक औसतन 64 लाख टन था जो कि न्यूनतम स्टॉकिंग मानदण्ड 82 लाख टन प्रतिवर्ष से कम था। 1 जनवरी 2009 से 1 जनवरी 2014 तक गेहूँ का न्यूनतम स्टॉकिंग मानदण्ड 112 लाख टन प्रतिवर्ष था जबकि वास्तविक स्टॉक औसतन 235 लाख टन था। 1 जनवरी 2015 से 1 जनवरी 2017 तक गेहूँ का न्यूनतम स्टॉकिंग मानदण्ड 138 लाख टन प्रतिवर्ष था जबकि वास्तविक स्टॉक औसतन 209 लाख टन था। चावल के संदर्भ में तालिका से स्पष्ट है कि न्यूनतम स्टॉकिंग मानदण्ड 1 जनवरी 1994 से 1 जनवरी 1998 तक 77 लाख टन, 1 जनवरी 1999 से 1 जनवरी 2005 तक 84 लाख टन, 1 जनवरी 2006 से 1 जनवरी 2008 तक 118 लाख टन, 1 जनवरी 2009 से 1 जनवरी 2014 तक 138 लाख टन तथा 1 जनवरी 2015 से 1 जनवरी 2017 तक 76.1 लाख टन प्रतिवर्ष था, जबकि इस दौरान चावल का वास्तविक स्टॉक क्रमशः 137 लाख टन, 166 लाख टन, 120 लाख टन, 240 लाख टन तथा 126 लाख टन था जो कि न्यूनतम स्टॉकिंग मानदण्ड से अधिक है। तालिका से स्पष्ट है कि खाद्यान्न (गेहूँ+चावल) की मात्रा केन्द्रीय पूल में 1 जनवरी 2006 से 1 जनवरी 2008 तक को छोड़कर, अन्य सभी वर्षों में वास्तविक स्टॉक की मात्रा न्यूनतम स्टॉकिंग मानदण्ड से अधिक रही है।

वितरण हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली

प्रत्येक सरकार को जनता की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसको आवश्यक वस्तुएं, उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना उसका दायित्व होता है। सामान्य वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत उत्पादक से उपभोक्ता के बीच एक लंबी श्रृंखला होती है, इन मध्यस्थों के फलस्वरूप वस्तुओं की कीमतें अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि यह मध्यस्थ अपनी विनियोजित पूंजी का अच्छा प्रतिफल, अपनी सेवा व जोखिम का पुरस्कार तथा बढ़े हुए अन्य खर्चे वस्तु के मूल्यों में जोड़कर प्राप्त कर लेता है। अंत में इसका भार उपभोक्ता को ही वहन करना पड़ता है। उत्पादक से उपभोक्ता तक वस्तुएं पहुंचने में मध्यस्थों की संख्या कम से कम होने पर ही मूल्यों पर नियंत्रण के साथ ही साथ, उनकी शुद्धता और पूर्ति संभव है। इस कारण से मध्यस्थों पर अंकुश आवश्यक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रत्यक्ष रूप से इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सम्बन्ध उपभोक्ताओं को वस्तुएं उपलब्ध कराना है। यही नहीं केवल वस्तुएं ही उपलब्धकराई जाएगी, अपितु उन वस्तुओं की किस्म एवं उचित मूल्यों पर भी पर्याप्त ध्यान देना आवश्यक है। समय क्रम के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उद्देश्यों में भी परिवर्तन होता रहा है। हमारे देश में किसी वर्ष तो खाद्यान्नों की प्रचुरता रहती है और किसी वर्ष अकाल या अभाव के कारण कमी रहती है। यह क्रम चक्रीय रूप से चलता रहता है। इसलिए यह आवश्यक होता है कि एक ऐसी प्रणाली अपनायी जाये जिससे कि हमें मानसून की दशाओं पर निर्भर न रहकर, हम अपने आप में निर्भर हो जाए। इसलिए यह आवश्यक है कि हमारी राष्ट्रीय खाद्य नीति में खाद्यान्नों का पर्याप्त बफर स्टाक और खरीददारी हो। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत कार्यरत उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्नों को वितरण कार्य सम्पन्न कराए। समय के विकास क्रम के साथ खाद्यान्नों का उत्पादन व जनसंख्या में भी वृद्धि होती गयी, परिणाम स्वरूप वितरण व्यवस्था को और व्यापक एवं गहन करना अत्यन्त आवश्यक हो गया।

भारत सरकार ने गरीबों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए जून, 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की। इस लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों के लिए यह अपेक्षित था कि वे खाद्यान्नों की

सुपुर्दगी देने और उचित दर दुकानों के स्तर पर इनका पारदर्शी और जवाबदेही तरीके से वितरण करने के लिए गरीबों की पहचान करने की सुदृढ़ व्यवस्था कर उनका क्रियान्वयन करे।

वर्तमान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अंतिम खुदरा मूल्य, थोक–खुदरा विक्रेताओं के मार्जिन, ढुलाई प्रभार, लेवी, स्थानीय कर आदि पर विचार करते हुए सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। अंत्योदय अन्न योजना, जिसमें अंतिम खुदरा मूल्य को गेहूँ के लिए 2 रूपये प्रति किलोग्राम और चावल के लिए 3 रूपये प्रति किलोग्राम रखा जाना है को छोड़कर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्नों का वितरण निश्चित खुदरा निर्गम मूल्य निर्धारित करने के लिए सरकार को लचीला रूख अपनाने का अधिकार दिया गया है।

उचित मूल्य की दुकाने

भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक क्रय शक्ति जिन परिवारों में नहीं है, उन्हे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से जरूरी वस्तुएं सहायित दर पर उपलब्ध करायी जाती है। वास्तव में यह एक तरह का आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को वस्तु के माध्यम से आय हस्तान्तरित करने की व्यवस्था है। इसे प्रभावी बनाने के लिए यह जरूरी है कि पर्याप्त मात्रा में उचित मूल्य की दुकानें हों। देश में सम्पूर्ण उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करने के दृष्टिकोण से यह प्रासंगिक हो गया है कि उचित मूल्य की दुकानों की संख्या में वृद्धि की जाए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की संरचना में प्रारम्भ से ही निजी क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकानें कार्य कर रहीं है तथा ये निजी क्षेत्र की दुकानें आर्थिक रूप से सक्षम भी हैं। छठीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में सार्वजनिक वितरण प्रणली के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिये इन दुकानों की समुचित अवसर प्रदान किये गये। सहकारी क्षेत्र में भी इनको प्रोत्साहित किया गया। नये लाइसेंस देने में भी सहकारी क्षेत्र के दुकानों को प्राथमिकता दी गई। वर्ष 1979–80 में कुल 2.5 लाख उचित मूल्य की दुकानों से लगभग 72 हजार दुकानें सहकारी क्षेत्र में थी। इसमें से 58 हजार ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 14 हजार शहरी क्षेत्रों में थी।

90 के दशक से आर्थिक सुधारों के क्रम में निजीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, परन्तु अपनी कल्याणकारी नीति के तहत सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली और मजबूत किया तथा यह लक्ष्य रखा कि देश के हर ग्राम समाज में एक उचित मूल्य की दुकान अवश्य हो क्योंकि अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से भारत सरकार एवं राज्य सरकारों की कई अन्य कल्याणकारी स्कीमों को भी चलाया जा रहा है। परिणाम स्वरूप उचित मूल्य की दुकानों में काफी तेजी से वृद्धि हो रही है। 1984 में जहॉ इनकी संख्या 312800 थी वहीं 2000 में बढ़कर 461000 एवं 2018 में इनकी संख्या बढ़कर 5.26 लाख हो गयी। वर्तमान में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार देश में प्रचालित 5.26 लाख उचित दर दुकानों में से लगभग 1.45 लाख उचित दर दुकानें 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सहकारी समितियों, महिला स्वयं सेवी समूहों, ग्राम पंचायतों, शहरी स्थानीय निकायों और स्वयं सहायता समूहों को आवंटित की गयी है। वर्ष 2018 में उचित मूल्य की दुकानों की राज्यवार स्थिति तालिका में दिखाई गयी है।

चित्र– 03

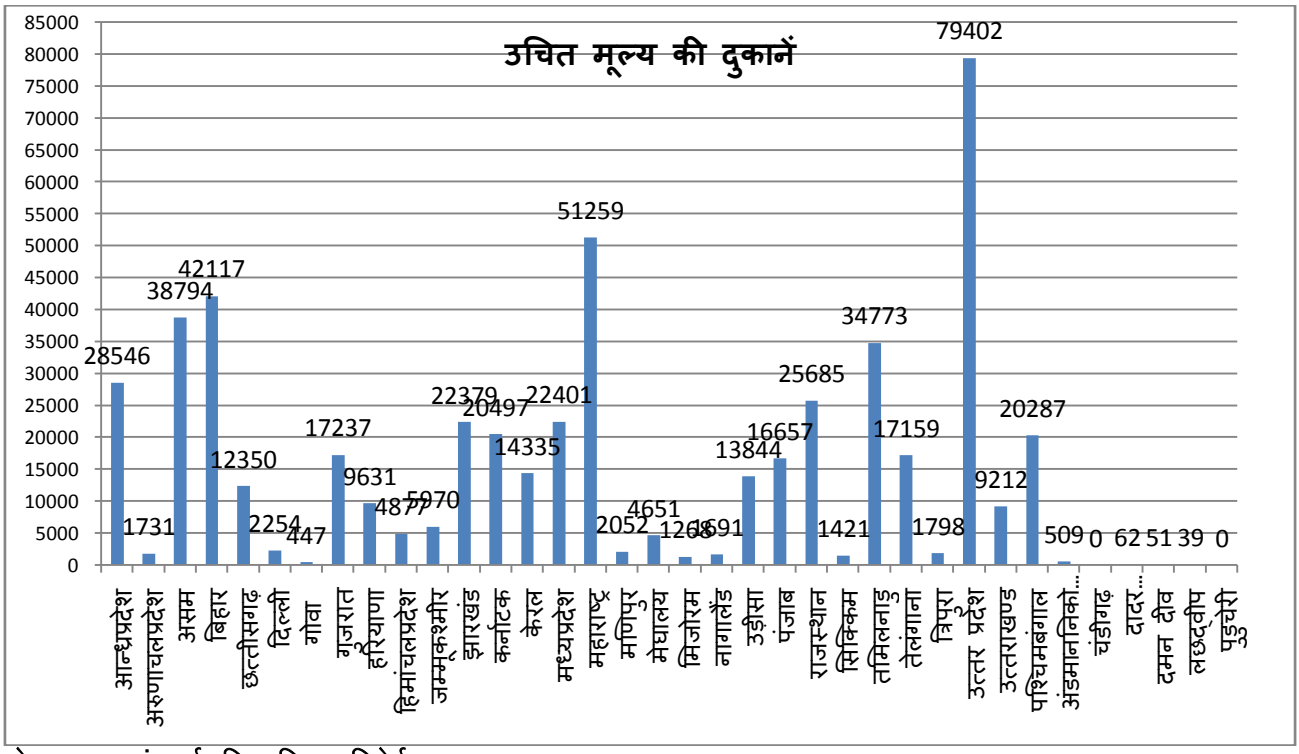

स्रोतः खाद्य एवं सार्वजनिक विभाग रिपोर्ट 2018

उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है कि देश उचित मूल्य के दुकानों का जाल फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र, बिहार, असम, तमिलनाडु, आंध्र प्रेदश, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों की संख्या सर्वाधिक है। इन राज्यों मे देश के लगभग 55 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। चण्ड़ीगढ़ तथा पुड्डूचेरी में नगद अंतरण पद्यति के माध्यम से खाद्य राज सहायता लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे जमा की जा रही है। इस प्रकार उचित मूल्य की दुकानें सार्वजनिक वितरण प्रणाली की एक रक्त वाहिनी के रूप में कार्य कर समाज के कमजोर व निम्न वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा करती है।

खाद्यान्नों का आवंटन एवं वितरण

भारत में खाद्य सुरक्षा एवं उपभोक्ताओं के हितो की रक्षा करना, किसी भी कल्याणकारी सरकार का प्रमुख उद्देश्य होता है। प्रत्येक उपभोक्ता को उचित मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे उसका कल्याण हो। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा उपभोक्ताओ को आवश्यक वस्तुओं के समान वितरण हेतु तथा बढ़ते हुए मूल्यों से रक्षा करने के लिए राशनिंग व्यवस्था अपनायी गयी। इसके अन्तर्गत सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा विभिन्न सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं से खाद्यसुरक्षा को दृष्टिगत रखतें हुए खाद्यान्नों की मात्रा आवंटित की जाती है तथा इन्हें योजनाओं के द्वारा वितरित किया जाता है। भारत में खाद्यान्नों के आवंटन एवं वितरण की स्थिति को निम्न तालिका द्वारा प्रस्तुत किया गया है–

तालिका– 02

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवंटन के सापेक्ष उठान का विवरण (1998–99 से 2017–18)

	आवंटन (लाख टन में)				उठान (लाख टन में)		
	चावल	गेंहू	कुल		चावल	गेंहू	कुल
1998-99	127.57	99.2	226.77		106.21	78.24	184.44
1999-2000	137.25	101.75	239		111.89	56.18	168.07
2000-01	160.91	113.68	274.59		78.55	39.33	117.89
2001-02	170.76	129.32	300.08		80.42	55.24	135.67
2002-03	358.6	384.68	743.29		104.5	96.16	200.66
2003-04	343.14	369.39	712.53		132.67	106.64	239.31
2004-05	344.52	372.48	717		164.65	128.9	293.55
2005-06	399.89	316.33	716.22		190.61	120.44	311.05
2006-07	432.37	144.19	576.56		211.17	105.52	313.69
2007-08	273.15	119.63	392.78		224.52	108.38	332.9
2008-09	241.3	146.46	387.76		220.68	125.33	346.01
2009-10	248.19	227.84	476.03		234.12	189.91	424.03
2010-11	260.98	214.49	475.47		248.41	188.79	437.2
2011-12	261.27	227.49	488.76		243.25	187.76	431.01
2012-13	271.4	233.28	504.68		252.27	196.49	448.76
2013-14	268.58	232.76	501.34		245.04	200.07	445.11
2014-15	304.2	215.92	520.13		255.92	189.94	445.87
2015-16	284.06	239.34	523.4		273.41	222.53	495.94
2016-17	303.23	239.8	543.03		292.95	228.71	521.67
2017-18	314.08	238.78	552.86		315.63	224.86	540.49

स्रोतः खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (फूड ग्रेन बुलेटिन) दिसम्बर 2010, जनवरी,2013 एवं 2015, मार्च 2018 एवं 2019।

चित्र– 04

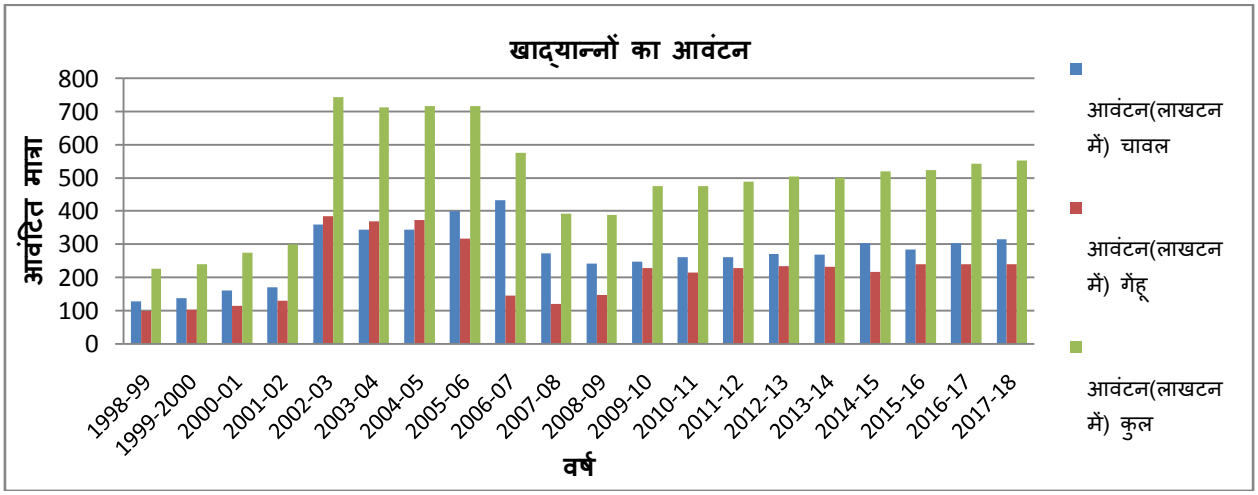

चित्र 04 तालिका 02 पर आधारित है

चित्र– 05

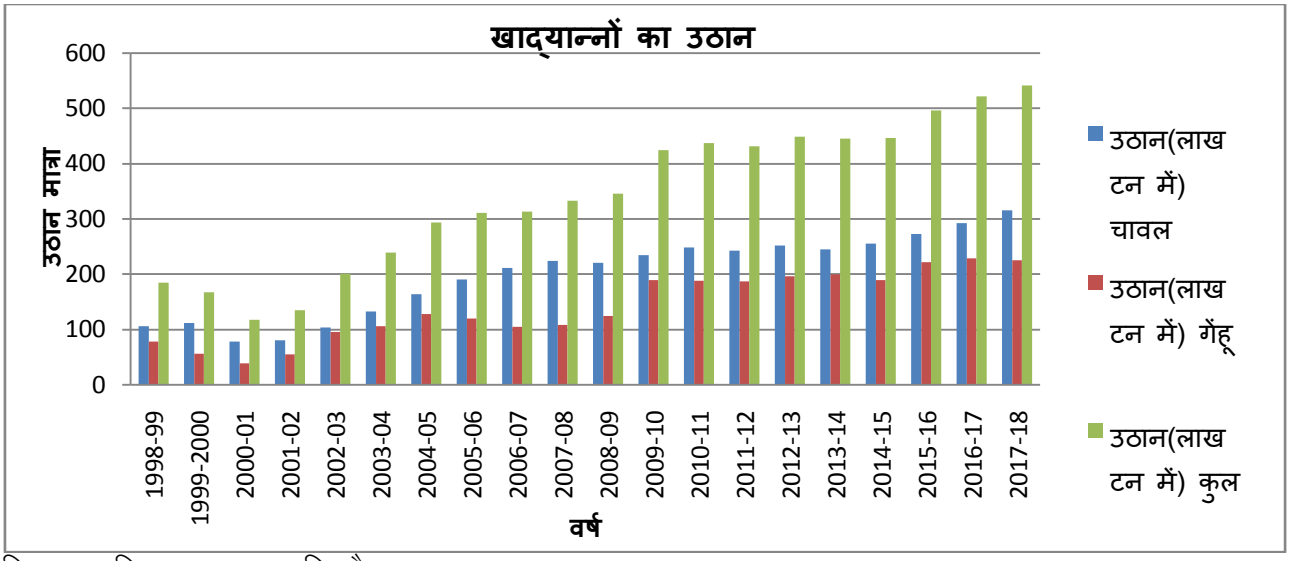

चित्र 05 तालिका 02 पर आधारित है

उपरोक्त तालिका एवं चित्रों से स्पष्ट है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वर्ष 1998–99 में चावल हेतु आवण्टन 127.57 लाख टन था जो 2006–07 में बढ़कर 432.37 लाख टन तथा 2017–18 में घटकर 314.08 लाख टन रह गया। इसी प्रकार गेहूँ का आवण्टन 1998–99 में 99.2 लाख टन था जो 2002–03 में बढ़कर 384.68 लाख टन पहुँच गया। वर्ष 2010–11 से गेहूँ की आवंटित मात्रा में निरन्तर वृद्धि हुई है। वर्ष 2017–18 में गेहूँ की आवंटित मात्रा 238.78 लाख टन थी। टी0पी0डी0एस0 के अन्तर्गत उठान की मात्रा आवंटन से हमेशा कम रही है। वर्ष 1998–99 में चावल का उठान 106.21 लाख टन था जो 2000–01 में घट कर 78.55 लाख टन रह गया। वर्ष 2002–03 से चावल की उठान की मात्रा में निरन्तर वृद्धि हुई है। वर्ष 2017–18 में चावल का उठान 315.63 लाख टन रहा। गेहूँ का उठान वर्ष 1998–99 में 78.24 लाख टन था जो 2000–01 में घटकर 39.33 लाख टन रह गया। वर्ष 2006–07 एवं 2014–15 को छोड़कर अन्य सभी वर्षों में गेहूँ की उठान की मात्रा में वृद्धि हुई है। वर्ष 2017–18 में गेहूँ का उठान 224.86 लाख टन रहा। टी0पी0डी0एस0 के अन्तर्गत खाद्यान्न के आवंटन में निरन्तर वृद्धि हुई है। वर्ष 2002–03 से लेकर 2005–06 तक तो खाद्यान्नों का आवंटन 700 लाख टन से अधिक रहा, परन्तु इस दौरान उठान की स्थिति बहुत खराब रही है। वर्ष 2002–03 में कुल आवंटित मात्रा 743. 29 लाख टन के सापेक्ष उठान मात्र 200.66 लाख टन था। वर्ष 2007–08 के बाद से खाद्यान्नों के उठान की स्थिति में सुधार हुआ है। वर्ष 2017–18 में कुल खाद्यान्न की आवंटित मात्रा 552.86 लाख टन के सापेक्ष उठान 540.49 लाख टन रहा।

तालिका– 03

	प्रतिशत उठान		
वर्ष	चावल	गेंहू	कुल
1998–99	83.30	78.90	81.30
1999–2000	81.50	55.20	70.30
2000–01	48.80	34.60	42.90
2001–02	47.10	42.70	45.20
2002–03	29.10	25.00	27.00
2003–04	38.70	28.90	33.60
2004–05	47.80	34.60	40.90
2005–06	47.70	38.10	43.40
2006–07	48.80	71.10	54.40
2007–08	82.20	90.60	84.80
2008–09	91.06	85.60	89.20
2009–10	94.30	83.40	89.10
2010–11	95.20	88.00	92.00
2011–12	93.10	82.50	88.20
2012–13	93.00	84.20	88.90
2013–14	91.20	86.00	88.80
2014–15	84.10	88.00	85.70
2015–16	96.30	93.00	94.80
2016–17	96.60	95.40	96.10
2017–18	100.50	94.20	97.80

स्रोतः खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (फूड ग्रेन बुलेटिन) दिसम्बर 2010, जनवरी,2013 एवं 2015, मार्च 2018 एवं 2019।

चित्र– 06

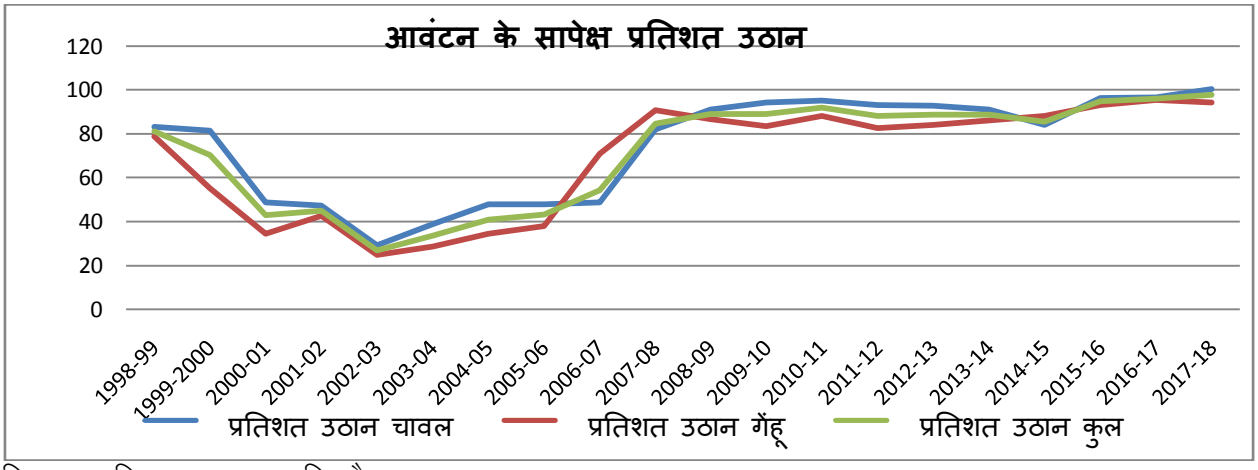

चित्र 06 तालिका 03 पर आधारित है।

उपरोक्त तालिका एवं चित्र से स्पष्ट है कि आवंटन के सापेक्ष वर्ष 1998–99 में चावल का उठान 83. 30 प्रतिशत, गेहूँ का उठान 78.90 प्रतिशत तथा कुल खाद्यान्नों (गेहूँ एवं चावल) का उठान 81.30 प्रतिशत था। वर्ष 2000–01 से 2005–06 तक खाद्यान्नों का उठान आवंटन का 50 प्रतिशत भी नहीं था। वर्ष 2002–03 में तो उठान आवंटन का मात्र 27 प्रतिशत वर्ष 2006–07 के बाद से खाद्यान्नों के उठान की स्थिति में सुधार हुआ है। वर्ष 2017–18 में चावल का उठान आवंटन का 100.50 प्रतिशत, गेहूँ का उठान 94.20 प्रतिशत तथा सम्पूर्ण खाद्यान्न का उठान 97.80 प्रतिशत रहा।

निष्कर्ष

खाद्य सुरक्षा के लिए खाद्यान्नों का वास्तविक भण्डार वर्ष 2013 में सर्वाधिक 664.04 लाख टन था। जबकि वर्ष 2002 में 580.3 लाख टन एवं वर्ष 2012 में 553.94 लाख टन रहा, जबकि वर्ष 1998 में सबसे कम वास्तविक भण्डार रहा है। खाद्यान्नों का न्यूनतम भण्डार वर्ष 2014 तक लगातार बढ़ा है इसके बाद घटने की प्रवृत्ति रही है। इस प्रकार वास्तविक भण्डार न्यूनतम भण्डार की अपेक्षा सिर्फ तीन वर्षों 2006, 2007 एवं 2008 में कम रहा है शेष सभी वर्षों में वास्तविक भण्डार न्यूनतम मानदण्ड की अपेक्षा अधिक रहा है। वर्ष 2002 में वास्तविक भण्डार न्यूनतम मानदण्ड की तुलना में लगभग 3.5 गुना रहा है। समयावधि (1998–2017) में सामान्यतः खाद्य सुरक्षा के लिए वास्तविक भण्डार की मात्रा न्यूनतम मानदण्ड की अपेक्षा अधिक रही है। यह स्पष्ट है कि खाद्य सुरक्षा के लिए आपूर्ति पक्ष की स्थिति बेहतर रही है। खाद्यन्नों के वितरण के लिए विभिन्न राज्यों में उचित मूल्य की दुकानों में लगातार वृद्धि हुई है साथ ही साथ खाद्यन्नों की आवंटित मात्रा भी बढ़ी है। सामान्यतया चावल की आवंटित मात्रा गेहूँ की अपेक्षा अधिक रही है ठीक इसी प्रकार की स्थिति टी0पी0डी0एस0 के अन्तर्गत उठान में प्रदशित हो रही है परन्तु खाद्य सुरक्षा के लिए जो मात्रा आवंटित की गई है उसकी अपेक्ष उठान की मात्रा वर्ष 1998–99 से ले कर 2017–18 की अवधि में अपेक्षाकृत कम रही है। कुछ वर्ष विशेषकर 2000–01 से 2005–06 तक की अवधि में उठान आवंटित मात्रा का लगभग 27 से 45 प्रतिशत के बीच ही रहा है परन्तु वर्ष 2007–08 के पश्चात उठान का प्रतिशत निरन्तर बढ़ रहा है जो वर्ष 2017–18 में आवंटित मात्रा के लगभग पहुँच गया। निश्चित रूप से खाद्य सुरक्षा के लिए वितरण व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन से ही भारत में खाद्य सुरक्षा की स्थिति में सुधार हो रहा है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *आर0 राधाकृष्णन, ''फूड एण्ड सिक्योरिटी न्यूट्रियन्स ऑफ द पुअर'' इकोनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली (अप्रैल 2005)।*
2. *भारत सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण (2012–13) एवं (2017–18)*
3. *देव महेन्द्र एवं अलख एन0 शर्मा (2010), ''फूड सिक्योरिटी इन इण्डिया : परफॉरमेंस, चैलेन्ज एण्ड पॉलिसी'' इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, ऑक्सफोर्ड वर्किंग पेंपर, नई दिल्ली।*
4. *कोतवाल अशोक, मिलिद मुरूगकर और भारत रामास्वामी (2011) ''पी0डी0एस0 फॉर एवर?'', इकोनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली।*
5. *कुरुक्षेत्र, नवम्बर 2013.*
6. *योजना दिसम्बर 2013.*
7. *देव एस0एम0, ''राइट टू फूड इन इण्डिया'' वर्किंग पेपर नं0–50 हैदराबाद, सेन्टर फॉर इकोनॉमिक एण्ड सोशल स्टडीज।*
8. *ड्रेज, जे (2004), ''डेमोक्रेशी एण्ड राइट टु फूड'', इकोनॉमिक एण्ड पॉलिटिक वीकली अप्रैल 24।*
9. *सेन, अमर्त्य (2001), ''मेनी फेसेज ऑफ जेंडर इक्वालिटी'' फ्रंट लाइन, 27 अक्टूबर , 9 नवम्बर।*
10. *स्वामिनाथन, एम0 (2000), विकिंग वेल फेयर द पब्लिक डिस्ट्रीव्यूशन ऑफ फूड इन इण्डिया।*
11. *तारा गोपाल दास, ''हिडेन हंगर : द प्रॉब्लम एण्ड पॉसिबल इंटरवेन्सन'' इकोनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली अगस्त 2006।*
12. *एस0एस0 आचार्य (2006), ''खाद्य सुरक्षा पर राष्ट्रीय खाद्य नीति का प्रभाव'' वर्ल्ड इन्स्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक रिसर्च पेपर नं0 – 2006/70।*
13. *मधु पावस्कर, ''पब्लिक इंटरवेन्सन इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग'' इन एम0एल0 दन्तवाला, इण्डियन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट सिंस इण्डिपेन्डेन्स (नई दिल्ली, 1991)।*